



समक्षा :- अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल

अपील नं 13794 - PBR-15

1. श्रीराम उर्फ श्रीलाल आ. वीरो
2. करोड़ी आ. वीरो
3. कमला बाई पुत्री वीरो
जाति काछी, निवासी ग्राम खांड़ादेवरी,
तह. सोहागपुर, कृष्णक ग्राम खरदा, तह. बाबई,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....अपीलार्थीगण

//बनाम//

1. काशीराम आ. स्व. विश्राम
2. नन्दकिशोर आ. स्व. विश्राम
दोनों निवासी ग्राम ढोंगरा, तह. बाबई,
जिला होशंगाबाद
3. श्रीमति देवकी बाई पुत्री स्व. विश्राम
निवासी ग्राम रंधीर सेमरी, तह. पिपरिया
जिला होशंगाबाद
4. नर्मदा प्रसाद आ. कन्हैयालाल
5. रामनारायण आ. पन्नालाल
6. फूला बाई पुत्री पन्नालाल
7. करोड़ीलाल आ. छीता
8. मनीराम आ. रबदा
9. सेवकराम आ. रबदा
10. मुन्नी बाई पुत्री रबदा
11. तुलसीराम आ. रबदा
सभी निवासी ग्राम ढोंगरा, तह. बाबई,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भ.रा.सहिता।

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

अपीलार्थीगण यह अपील अधीनस्थ न्यायालय माननीय आयुक्त महोदय के अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक 43ए/11-12 में पक्षाकार विश्राम व अन्य विरुद्ध करोड़ी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04/07/2015 को उक्त अपील प्रत्यावर्तित किये जाने से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर

निरंतर.....2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
28/10/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3794-पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-1-2016	<p>आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः यह अपील विधि विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	